राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक पः–9(25)राज–6/14/03 जयपुर, दिनांकः– 13-04-17

1. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।

–: परिपत्र :–

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 4( )पटटा आवं/विधि/पंरा/2017/266 दिनांक 05.04.2017 जारी कर राज्य में दिनांक 14.04.17 डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती से 12 जुलाई 2017 तक 90 दिवस का एक विशेष अभियान चलाया जाकर पंचायतों के पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को आबादी भूमि के पट्टे एवं भूखण्ड आवंटित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जायगा।

उक्त अभियान के दौरान पट्टाहीन पात्र व्यक्तियों को भूखण्ड उपलब्ध कराने के उददेश्य से यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु अनाधिवासित राजकीय भूमि सेट–अपार्ट हेतु जिला कलक्टर सक्षम है।

अतः दिनांक 14.04.2017 से 12.07.2017 के मध्य चलाये जा रहे अभियान को ध्यान में रखते हुऐ ग्राम पंचायतो को आबादी विस्तार के लिये भूमि सेट अपार्ट की कार्यवाही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 अन्तर्गत कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

(पी.एस. बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव